रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०/91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 28 फरवरी, 2009

फाल्गुन 9, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 499/79–वि–1–09-1(क)4-2009

लखनऊ, 28 फरवरी, 2009

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 27 फरवरी, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अधिनियम, 2007 का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 2007 का निरसन

2–उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अधिनियम, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 2007) विपिन खंड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के संरक्षण, विकास, सुरक्षा और अनुरक्षण के लिए प्रबंधन बोर्ड स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम की वैधता को रिट याचिका संख्या 6169 (एम/बी) सन् 2008 में नेशनल एलायन्स आफ प्यूपिलस मूवमेंट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में चुनौती दी गई है। उक्त अधिनियम के उपबंधों का परीक्षण करने के पश्चात् महा अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश ने राज्य सरकार को परामर्श दिया है कि वह उक्त अधिनियम को निरसित कर दे और उक्त अधिनियम के उपबंधों में आवश्यक संशोधन करने के पश्चात् नया विधायन लाए। न्याय विभाग का भी यही मत था। अतः यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को निरसित किया जाए।

उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009 तदनुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,

सचिव।

No. 499(2)/LXXIX–V–1–09-1(Ka) 4-2009

Dated Lucknow, February 28, 2009

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal (Nirsan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 27, 2009 :–

THE UTTAR PRADESH DR. BHIMRAO AMBEDKAR SAMAJIK PARIVARTAN STHAL (REPEAL) ACT, 2009

(U. P. ACT NO. 9 OF 2009)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal Act, 2007.

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal (Repeal) Act, 2009.

Repeal of U.P. Act no. 43 of 2007

2. The Uttar Pradesh Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal Act, 2007 is hereby repealed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal Act, 2007 (U.P. Act no. 43 of 2007) was enacted to establish the Board of Management for the preservation, development, protection and maintenance of Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal situated at Vipin Khand of Gomtinagar, Lucknow in Uttar Pradesh. The validity of the said Act has been challenged in the High Court of Judicature at Allahabad in the writ petition no. 6169 (M/B) of 2008, National Alliance of People's Movement *v/s* State of U.P. & others. After examining the provisions of the said Act the Advocate General, Uttar Pradesh has advised the State Government to repeal the said Act and to bring a new legislation after making necessary amendment in the provisions of the said Act. The Nyaya Vibhag was also of the same view. It has, therefore, been decided to repeal the said Act.

The Uttar Pradesh Dr. Bhim Rao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal (Repeal) Act, 2009 is introduced accordingly.

By Order,
P. V. KUSHWAHA
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1031 राजपत्र (हि०)–2009–(2231)–597 प्रतियां–(क० / टी० / आ०)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 186 सा० विधायी–2009–(2232)–850 प्रतियां–(क० / टी० / आ०)।